# अनुलग्नक– 03 (द्रष्टव्य कंडिका 1.4)

## जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के गठन की अधिसूचना

**बिहार सरकार**
**आपदा प्रबंधन विभाग**

**अधिसूचना**

संख्या: 1/प्र०आ०-15/2008..1502..../आ०प्र०,        पटना-15, दिनांक- 13/6/08

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए **"जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण"** (जिसे इन नियमों में जिला प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) का गठन करती है, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2), (3), (4) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | जिला पदाधिकारी/ जिला समाहर्त्ता | - | पदेन अध्यक्ष |
| (ii) | अध्यक्ष जिला परिषद | - | सह-अध्यक्ष |
| (iii) | पुलिस अधीक्षक | - | पदेन सदस्य |
| (iv) | मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | - | पदेन सदस्य |
| (v) | उप विकास आयुक्त | - | पदेन सदस्य |
| (vi) | अपर समाहर्त्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) | - | पदेन सदस्य |
| (vii) | जिला के वरीयतम अभियंता | - | पदेन सदस्य |

(2) अपर समाहर्त्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।

(3) अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- ............................................./आ०प्र०,        पटना-15, दिनांक-.......................
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
सरकार के उप सचिव

HCLJC\2008-09\ Pvs a\ Notification (08.04.08) II

क्रमांक- 1507 /जयपुर, भाग-15, दिनांक- 12/6/08

प्रतिलिपि: सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला कलेक्टर्स/ सभी संभागीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

([illegible])

[illegible] के उप सचिव

[illegible]